



# श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

(राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण 1958 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड)

प्रधान कार्यालय : 'समता भवन' आचार्य श्री नानेश मार्ग, नोखा रोड,  
गंगाशहर, बीकानेर-334004 (राज.) फोन नं. 0151-2270261  
ईमेल : ho@sadhumargi.com वेबसाईट : www.sadhumargi.com



श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ द्वारा संचालित

## श्री गणेश जैन छात्रावास

पद्मिनी मार्ग, राणा प्रताप नगर, सुन्दरवास, उदयपुर - 313001 ( राज. ) फोन नं. 294-2494375, मो. 9785753362

### प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

यहाँ अपनी  
नवीनतम फोटो  
अवश्य रूप से  
चिपकायें।

सेवा में,  
श्रीमान् राष्ट्रीय संयोजक महोदय,  
सदर जय जिज्ञेन्द्र !

#### आवेदक का विवरण

नाम : ..... जन्म दिनांक/आयु ( वर्ष ) : .....  
पिता का नाम : ..... MID नम्बर : .....  
स्थायी पता : .....  
पोस्ट : ..... शहर : ..... राज्य : ..... पिनकोड : .....  
फोन नंबर : ..... मोबाईल नंबर : .....  
ईमेल आईडी : .....  
मेरी धार्मिक मान्यता श्वेताम्बर मू.पू./स्थानकवासी/तेरापंथ, दिगम्बर-बीसपंथ/तेरापंथ में है। मैंने कक्षा .....श्रेणी.....  
में.....विद्यालय/महाविद्यालय से उत्तीर्ण की है तथा आगे अध्ययन हेतु कक्षा .....विषय.....  
.....लेकर.....( महाविद्यालय ) में दिनांक.....से प्रवेश लिया है।

#### प्रतिज्ञा

मैं आपके छात्रावास में प्रवेश लेना चाहता हूँ। मैंने छात्रावास संबंधी सभी नियम पढ़ लिए हैं तथा शपथपूर्वक निवेदन करता हूँ कि प्रतिष्ठित कर लिए जाने पर छात्रावास के वर्तमान नियम तथा भविष्य में बनने वाले नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करूंगा। संस्था के किसी भी नियम का उल्लंघन या उद्दण्डता पूर्ण व्यवहार करने पर आप मुझे संस्था से तत्काल पृथक कर सकेंगे जो मुझे मान्य होगा। साथ ही सम्पत्ति के नुकसान पहुंचाने पर जो भी आर्थिक दण्ड दिया जाएगा उसका भुगतान करूंगा।

भवदीय

हस्ताक्षर आवेदक

#### पिता/अभिभावक की सहमति एवं प्रतिज्ञा

मेरा पुत्र/पौत्र श्री ..... मेरी पूर्ण सहमति से आपके छात्रावास में प्रवेश लेना चाहता है। छात्रावास नियमावली की जानकारी मैंने पूर्ण रूप से कर ली है। छात्र छात्रावास के सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेगा तथा इसका चाल-चलन, व्यवहार संस्था के लिए शोभाजनक होगा। अतः आप इसे प्रवेश देने की कृपा करें। इसके भोजन एवं अन्य फीस चुकाने तथा शिक्षा व स्वास्थ्य लाभ खर्च की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है।

छात्र द्वारा कभी अनुशासनहीनता या नियमोल्लंघन की स्थिति बने तो आप तत्काल छात्रावास से पृथक कर देंगे तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। साथ ही सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जो भी आर्थिक दण्ड दिया जाएगा उसका भी भुगतान करूंगा।

हस्ताक्षर

( पिता/अभिभावक )

स्थायी पता : .....  
पोस्ट : ..... शहर : ..... राज्य : ..... पिनकोड : .....  
फोन नंबर : ..... मोबाईल नंबर : ..... ईमेल आईडी : .....

## स्थानीय संरक्षक द्वारा पूर्ति करने हेतु

मैं ..... छात्र श्री.....का स्थानीय संरक्षक होना स्वीकार करता हूँ। छात्र द्वारा नियमों का पालन की तथा छात्र द्वारा जमा कराए जाने वाले शुल्क आदि की भी पूर्णतया जिम्मेदारी लेता हूँ।

छात्र एवं संरक्षक का सम्बंध .....

हस्ताक्षर  
( पिता/अभिभावक )

पत्र व्यवहार का पूरा पता :-

स्थायी पता : .....

पोस्ट : ..... शहर : ..... राज्य : ..... पिनकोड : .....

फोन नंबर : ..... मोबाईल नंबर : .....ईमेल आईडी : .....

### गृह स्थान के स्थानीय संघ/समाज के अध्यक्ष/मंत्री द्वारा प्रमाणीकरण

हम छात्र श्री ..... तथा इनके आचार/विचार से परिचित हैं। छात्र की हम धार्मिक मान्यता श्वेताम्बर-मू.पू./स्थानकवासी/तेरापंथ, दिगम्बर-बीसपंथ/तेरापंथ में है। इन्हें प्रवेश देने की अनुशंसा की जाती है। छात्र के पिता/अभिभावक की समस्त सत्रातों से वार्षिक आय रुपये( अंकों में ) ..... ( शब्दों में ) ..... है।

हस्ताक्षर मंत्री मय सील

हस्ताक्षर अध्यक्ष मय सील

नाम : .....

नाम : .....

पता : .....

पता : .....

मोबाईल नं. ....

मोबाईल नं. ....

### गृहपति की अनुशंसा

श्री ..... का आवेदन पत्र मिला, पूर्व परीक्षाफल, आचरण एवं अन्य गतिविधियों, आचरण का अवलोकन किया गया। छात्र छात्रावास में प्रवेश माने योग्य है/नहीं है।

गृहपति हस्ताक्षर

### संयोजक की अनुमति

छात्रश्री ..... को गृहपति जी की सम्मति एवं प्रबंध समिति की मान्यतानुसार प्रवेश दिये जाने की स्वीकृती प्रदान की जाती है/नहीं दी जाती है।

दिनांक : .....

हस्ताक्षर संयोजक

वर्तमान सत्र में छात्रावास में निवासरत रहने के समयकाल में निम्न धार्मिक ज्ञानार्जन करने का संकल्प लेता हूँ।

ज्ञानार्जन .....

समयावधि .....

हस्ताक्षर छात्र

नोट : आवेदनकर्ता निम्न प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ आवश्यक रूप से संलग्न करें।

1. गत उत्तीर्ण कक्षा का प्रमाण पत्र मय प्राप्तांक।
2. स्कूल या महाविद्यालय का चरित्र प्रमाण-पत्र।
3. विद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश सम्बंधी प्रमाण पत्र।
4. पूर्व में यदि धार्मिक परीक्षा दी है तो उसका प्रमाण पत्र।
5. पूर्व में यदि किसी छात्रावास में रहें तो वहां का चरित्र प्रमाण पत्र।
6. इस छात्रावास में कितने वर्ष से रह रहे हैं।

## शपथ पत्र

मैं.....पुत्र श्री.....निवासी

.....ने .....कक्षा.....  
महाविद्यालय.....में प्रवेश ले लिया है तथा मैं गणेश जैन छात्रावास में प्रवेश लेना चाहता हूँ।

मैं श्री गणेश जैन छात्रावास के सभी नियमों का पालन करूंगा एवं अनुशासन में रहूंगा। यदि मैं नियमों का पालन नहीं करूँ तथा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करूँ तो आप तुरन्त बिना कोई कारण बताए मुझे छात्रावास से निष्कासित कर सकेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। छात्रावास में प्रवेश के दौरान जमा कराये गए शुल्क को लौटाने के लिए उजर नहीं करूंगा।

स्थान :- उदयपुर

.....

दिनांक :-.....

( हस्ताक्षर छात्र )

छात्र श्री.....के द्वारा छात्रावास के नियमों की पालना व छात्रावास शुल्क समय पर जमा कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ। छात्र द्वारा कोई भी अनुशासनहीनता करने पर दी जाने वाली सजा पर कोई आपत्ति नहीं करने की सहमति देता हूँ। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरी समस्त वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रु.....( अंकों में ).....  
.....( शब्दों में ) हैं।

प्रमाणितकर्ता के हस्ताक्षर  
( संघ अध्यक्ष/मंत्री/राजपत्रित अधिकारी )

हस्ताक्षर पिता/अभिभावक  
नाम.....

नोट :- उपरोक्त शपथ पत्र 10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखकर आपको नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराना होगा।

### शुल्क विवरण

वार्षिक शुल्क विवरण	एकल छात्र कक्ष	त्रिपल छात्र कक्ष
सुरक्षा/अमानत राशि	5000/-	5000/-
भोजन व सुविधाएं शुल्क	50000/-	44000/-
योग	55000/-	49000/-

अल्प अवधि हेतु प्रवेश - प्रतिमाह ( न्यूनतम दो माह की अवधि हेतु प्रवेश )

एकल छात्र	त्रिपल छात्र कक्ष
6000/-	5000/-

उपरोक्त शुल्क एक साथ प्रवेश के समय अथवा निम्नानुसार किश्तों में जमा कराया जा सकता है। बीच में छात्रावास छोड़ने पर फीस लौटाई नहीं जाएगी।

विवरण	प्रथम किश्त प्रवेश के समय		द्वितीय किश्त नवम्बर माह ( शुल्क )	कुल राशि
	सुरक्षा/अमानत राशि	शुल्क		
एकल छात्र कक्ष	5000/-	25000/-	25000/-	55000/-
त्रिपल छात्र कक्ष	5000/-	22000/-	22000/-	49000/-

सभी किश्ते माह के प्रथम सप्ताह में जमा कराना अनिवार्य होगा। किश्त समय पर जमा नहीं कराने की स्थिति में 25/- प्रतिदिन विलम्ब शुल्क वसुल किया जाएगा।

आवेदन पत्र प्राप्तकर्ता

सह-संयोजक

संयोजक

नाम : .....

नाम : .....

नाम : .....

मोबाईल नं. : .....

मोबाईल नं. : .....

मोबाईल नं. : .....

हस्ताक्षर : .....

हस्ताक्षर : .....

हस्ताक्षर : .....

## छात्रावास के नियम

1. छात्रावास का द्वारा रात्रि 10:30 बजे से सुबह 5:00 बजे तक बंद रहेगा। जो छात्र परिसर के बाहर जाते हैं और देरी से आते हैं उन्हें रजिस्टर में आने-जाने की प्रविष्टि ( एण्ट्री ) करनी होगी। देर से आने के कारणों का उल्लेख करना होगा।
2. कोई भी छात्र किसी भी कारण-वश छुट्टी लेता है तो उसे निर्धारित प्रारूप में छात्रावास-प्रभारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा और छात्रावास प्रभारी से लिखित रूप से अनुमति प्राप्त करनी होगी। छुट्टी का कारण छात्रावास प्रभारी द्वारा छात्र के स्थानीय अभिभावक /माता/पिता द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
3. प्रत्येक छात्र को सामायिक एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित होना अनिवार्य है। छात्र प्रातःकालीन एवं सायंकालीन सामायिक में अपनी सुविधानुसार उपस्थिति दे सकते हैं।
4. सभी छात्रों को छात्रावास में होने वाली बैठक, व्याख्यान समारोह आदि अन्य कार्यक्रमों में उपस्थित होना अनिवार्य है। सभी छात्रों को शालीन और सभ्य गणवेश में उपस्थित होना होगा।
5. कोई भी छात्र बिना कारणवश छात्रावास परिसर के आसपास तथा प्रवेश द्वार पर बैठे हुए अकारण इधर-उधर घूमते हुए नजर नहीं आने चाहिए।
6. कमरा छोड़ने से पूर्व छात्र सभी लाईट-पखें नियमित बंद करें। सभी सीढ़ियों व मार्गों पर अवरोध व परिसर में भीड़ उत्पन्न न करें।
7. छात्रावास व कमरों की सभी वस्तुओं ( बिस्तर, कुर्सी-अलमारी, ट्यूबलाईट आदि ) को छात्रों को सावधानी पूर्वक प्रयोग में लेना होगा तथा सुरक्षित रखना होगा। किसी भी कमरों की प्रत्येक वस्तु की जिम्मेदारी उस कमरे में रहने वाले प्रत्येक छात्र की होगी। छात्रावास छोड़ने से पूर्व छात्रावास प्रभारी को सभी वस्तुएं जमा करा कर पावती प्राप्त करनी होगी।
8. अतिथि, मित्र या सम्बंधी ( माता-पिता को छोड़कर ) का छात्र के कमरे में प्रवेश वर्जित है। छात्र अपने अतिथियों से केवल स्वागत कक्ष में मिल सकते हैं।
9. सभी प्रकार की वस्तुएं या कुरियर जो माता-पिता या अन्य किसी के द्वारा भेजी है वो कार्यालय में भेजनी होगी तथा डिलीवरी कार्यालय से ही प्राप्त करनी होगी।
10. छात्रावास की चल-अचल किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उसकी क्षति-पूर्ति छात्र द्वारा करनी होगी अन्यथा यह राशि की जमानत राशि ( सिव्योरिटी फंड ) में से काट ली जाएगी।
11. किसी भी प्रकार का उत्सव जन्मदिन, सामूहिक पार्टी, नवरात्रि, गणपति उत्सव आदि छात्रावास परिसर में मनाना सख्त रूप से वर्जित है। यदि कोई भी छात्र इन गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
12. छात्रावास का पता ( गणेश जैन छात्रावास ) किसी भी प्रकार से उपयोग में लेना वर्जित है। इसका कहीं भी दस्तावेजी सबूत या पत्र-व्यवहार में लिए उपयोग वर्जित है।
13. छात्रावास में सभी छात्रों को उचित अनुशासन में रहना होगा तथा सभी को सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना होगा। छात्र किसी भी प्रकार से अपने कमरे के सहपाठी तथा छात्रावास में रहने वाले अन्य छात्रों को परेशान कर उसकी पढ़ाई में खलल डालकर छात्रावास में अशांति उत्पन्न नहीं करेंगे।
14. छात्रावास को प्रातःकालीन नाश्ता, दोपहर भोजन, सायंकालीन भोजन तथा रात्रि दूध का समय इस प्रकार रहेगा -  
( क ) प्रातः कालीन नाश्ता सुबह - 7:00 बजे से 9:00 बजे तक  
( ख ) दोपहर का भोजन - 10:00 बजे से 1:00 बजे तक  
( ग ) सायंकालीन भोजन - 5:00 बजे से सूर्यास्त पूर्व  
जो छात्र ट्यूशन पढ़ने जाते हैं वे टिफिन सुविधा के लिए छात्रावास प्रभारी से मिलें। किसी भी कारणवश सूर्यास्त के बाद भोजन की आपूर्ति वर्जित है।
15. रसोई में किसी भी छात्र का प्रवेश पूर्णतया वर्जित है। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो इसे निर्धारित जुर्माना राशि भरनी होगी। कोई भी छात्र बिना अनुमति के भोजनशाला के बाहर भोजन लेकर जाते हुए पाया जाएगा तो उसे भी निर्धारित जुर्माना राशि देनी होगी।
16. छात्रावास में रहने की अवधि प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 31 मई ( 11 माह ) के लिए रहेगी। 31 मई को सभी छात्रों को आवश्यक रूप से छात्रावास खाली करना होगा।
17. सभी छात्रों को छात्रावास के नियम- विनियम जो ऊपर अंकित है। उसका पालन सख्ती से करना होगा। किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह उस छात्र के हित में नहीं होगा।
18. मैं श्री गणेश जैन छात्रावास के नियम, रविवारीय समता शाखा व कुल उपस्थिति में से 70 प्रतिशत, प्रतिदिन सामायिक के नियमों का पालन नहीं करता हूँ तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार होऊंगा।

हस्ताक्षर छात्र

.....

हस्ताक्षर माता-पिता

.....

**अनुशासनात्मक मामलों के लिए नियम**

1.	चेतावनी	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बिना अनुमति के छुट्टी लेना</li> <li>2. बिना अनुमति के छुट्टी विस्तार करना।</li> <li>3. छात्रावास में जन्मोत्सव, होली खेलना, पटाखे प्रयोग में लाना।</li> <li>4. किसी भी घृणित कार्य में लिप्त होना एवं अपमान जनक कार्य करना।</li> <li>5. निरन्तर अध्ययन में बाधा डालना।</li> <li>6. वे सभी नियम जो छात्रावास प्रबंधन द्वारा समय-समय पर बनाए जाते हैं उनका उल्लंघन करना।</li> </ol>
2.	कारण दिखाओं व माता-पिता को सूचित करना।	किसी भी गलती ( 1-6 ) को दोहराना जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है।
3.	निष्कासन	कोई भी गलती ( 1-6 ) को दोहराना जो ऊपर अंकित है। गंभीर गैर-अनुशासनात्मक कार्य जैसे- शराब सेवन, धूम्रपान, तम्बाकू चबाना, तोड़फोड़ आदि।

हम यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त सभी नियम-विनियम हमने पढ़ लिए हैं तथा हम यह वादा करते हैं कि हम इनका पूर्णरूप से पालन करेंगे। नियमों के उल्लंघन पर जो ऊपर उल्लेखित है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और वह हर प्रकार से बाध्यकारी/ अनिवार्य होगी।

दिनांक व स्थान

.....

छात्र का नाम व हस्ताक्षर

.....

माता-पिता का नाम व हस्ताक्षर

.....